आदेश	कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
27.04.22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस के दौरान आवेदकगण वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अनावेदक ग्राम ढाणी काणिका के भूमि खसरा नम्बर 1358 में बिना किसी विधिक प्रक्रिया अपनाये आवेदकगण की खातेदारी भूमि में सड़क बनाना चाहते हैं बल्कि इसके दक्षिण में कटाणशुदा रास्ता हैं। अतः अनावेदक को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि ग्राम ढाणी काणिका के भूमि खसरा नम्बर 1358 में बिना किसी विधिक प्रक्रिया अपनाये आवेदकगण की खातेदारी भूमि में सड़क नहीं बनाये तथा दौराने वाद रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 ग्राम ढाणी काणिका पटवार हल्का खेदड़ा की ढाणी में भूमि खसरा नम्बर 1358 रकबा 2.09 है0 में प्रार्थीगण एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। अनावेदक आवेदकगण की उक्त खातेदारी भूमि में सड़क बनाने पर आमदा हैं। विवादित भूमि को लेकर अनावश्यक मुकदमाबाजी व विवाद नहीं बढे इसके लिए अनावेदक को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से दावे का निर्णय होने तक पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है। आवेदकगण का प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है सुविधा का संतुलन भी आवेदकगण के पक्ष में जाहीर होता है। यदि अनावेदक को अस्थायी निषेधाज्ञा से पांबध नही फरमाया जाता है तो आवेदकगण को अपूर्णीय क्षति होगी। उक्त विवेचन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता हैं। **आदेश** प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाता हैं अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से दावा का निर्णय होने तक पाबन्द किया जाता हैं कि वे ग्राम ढाणी काणिका के भूमि खसरा नम्बर 1358 के रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। Signature Not Verified Digitally signed by Ram Singh Rajawat Date: 2023.02.13 12:44:04 IST Reason: SelfAttested 27/4/22 उपखण्ड अधिकारी (रामसिंह राजावत) उदयपुरवाटी	